

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर गैसा

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>क्र. नं० 55/2023 प्राचीन पत्र स्वानांतरण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जय उनवान - आनन्दी बनाम रामकिशोर कुंवर</p>	<p>नम्बर व तारीख हुक्म जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>२३-१-२५</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रवीण एवं प्राचीन को बार-बार आवाज लगाई गई। किन्तु अधिवक्ता प्रवीण अथवा प्रवीण के स कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इससे प्रतीत होता है कि प्रवीण विचाराधीन प्राचीन पत्र स्वानांतरण को नहीं चलाना चाहती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्राचीन पत्र स्वानांतरण डॉ. नवनीत कुमार पीछाड़ी अधिवक्ता न्यायालय उप जिला कलक्टर बसवा के विरुद्ध पेश किया गया है। जिनका स्वानांतरण हो चुका है। इसलिये प्राचीन पत्र स्वानांतरण इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। आतः न्यायालय उप जिला कलक्टर बसवा में विचाराधीन क्र. नं० 61/2022 बी५ पत्र उद्घोषणा दुरुस्ती तक्रार एवं (प्याई निषेधाज्ञा व प्राचीन) पत्र अर्थात् निषेधाज्ञा सं. 66/2022 उनवान आनन्दी बनाम रामकिशोर को अन्व सक्षम न्यायालय में स्वानांतरण करने हेतु प्राचीन आनन्दी प्रतिन काल्या जाति माली निवासी पूलीवाल मोहल्ला बसवा तहसील बसवा जिला गैसा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्राचीन पत्र स्वानांतरण अदम धाजरी एवं अदम पेशी में खारिज किया जाता है। निर्दिष्ट की प्रति अधिवक्ता न्यायालय उप जिला कलक्टर बसवा को भिजवाई जावे। पत्रावली फासल कुमार बीजावर नम्बर स क्रम है एवं बाद पूर्ति उचित लेख भंडार में जाके निर्दिष्ट आज दिनांक २३-१-२०२५ को अग्रे दाय हुए न्यायालय में सुनाया गया।</p>	<p></p>



नरेश कुंवर
अति. जिला कलक्टर
गैसा (राज.)

